



राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

क्रमांक:-

/अधि-ब/विविध-03/2023-24

दिनांक:

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा राजस्थान राजपत्र की अधि सूचना मुद्रण/4(96)03/पार्ट। ई-गजट/5269दिनांक 21.10.2019 के आदेशानुसार सर्व साधारण निजी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के लिए साधारण एवं असाधारण राजपत्र के ई-जगट प्रकाशन शुल्क वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए निम्न प्रकार दरें निर्धारित की जाती है।

1 असाधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ- 3383

2 साधारण राजपत्र प्रति पृष्ठ- 1692

उक्त दरें 01.04.2024 से प्रभावी होगी।

1676
26/03/2024

अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. अधीक्षक क्लर्क ए.एस.ई. राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
4. प्रभारी असाधारण राजपत्र प्रकाशन शाखा।
5. साधारण राजपत्र प्रकाशन शाखा।
6. कैशियर राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड मुद्रणालय/निदेशालय पर चस्पा हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

Signature valid



Digitally signed by Dinesh Chandra
Sharma
Designation: Superintendent
Date: 2024.03.26 16:23:39 IST
Reason: Approved